

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 28.1.14

—संशोधित आदेश :—

इस विभाग के समसंब्धक आदेश दिनांक 16.12.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सी.के. मैथ्यू आईएएस, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को आवंटित राजकीय आवास संख्या 1/1, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर का कब्जा लेने की दिनांक 26.12.2013 से आवास का किराया नियमानुसार साधारण किराया दर पर वसूलनीय होगा। अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

distriktaor

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जयपुर शहर, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विभागीय निगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, हीराबाग, जयपुर।
14. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवाटेत आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. आवंटी अधिकारी।
17. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
18. केयर टेकर, हरिश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

distriktaor

वरिष्ठ शासन उप सचिव